भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1139
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पंजाब में स्वास्थ्य बीमा योजना

†1139. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में निजी अस्पतालों ने पंजाब सरकार पर लगभग 600 करोड़ रुपये की बकाया राशि होने के कारण राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कैशलेस उपचार निलंबित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंजाब सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति परिवार 10 लाख रुपये प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित और संचालित किया जा रहा है और क्या प्रति परिवार 1 लाख रुपये के आयुष्मान भारत घटक को समय पर जारी किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को पंजाब के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में गंभीर क्षेत्रीय असमानताओं, जैसे डॉक्टरों की कमी, ट्रॉमा सेंटरों का न होना और स्वास्थ्य निवेश से मोगा जैसे संपूर्ण जिलों के साथ सौतेले व्यवहार की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पंजाब में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीण पंजाब को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त रूप से उन्नत सुविधा दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): पंजाब राज्य में, कुल 16.65 लाख परिवार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत हेल्थ कवरेज के लिए पात्र हैं। पंजाब राज्य एबी-पीएमजेएवाई को एक हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें 1 लाख रुपये तक के दावे का निपटारा किसी बीमा कंपनी के द्वारा किया जाता है, जबकि 1 लाख रुपये से ज़्यादा और योजना की सीमा तक के दावे का निपटारा ट्रस्ट मोड के माध्यम से किया जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, और पंजाब के लिए इसे कार्यान्वित करने की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा जाता है।

एबी-पीएमजेएवाई का वित्तपोषण पूरी तरह से मांग पर आधारित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त पिछले निर्गत निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों और मांग के आधार पर योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है।

(ग): केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, 'मौजूदा ज़िला/रेफ़रल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए, अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता देते हुए जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एसएएस मोहाली, कपूरथला और होशियारपुर में 03 मेडिकल कॉलेजों को मंज़ूरी दी गई है, जिसके लिए 223.40 करोड़ रुपये निर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सीएसएस के तहत 'पीजी सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ और उन्नत करने' के लिए 87 पीजी सीटों के वृद्धि के लिए दो कॉलेजों को मंज़ूरी दी गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

'देश में एमबीबीएस सीटों की वृद्धि के लिए मौजूदा राज्य/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को उन्नत करने' की योजना के तहत, 02 कॉलेजों में 100 एमबीबीएस सीटों को मंज़ूरी दी गई है, जिसके लिए 120 करोड़ रुपये की लागत अनुमोदित की गई है और केंद्र सरकार का पूरा अंश अर्थात् 72 करोड़ रुपये राज्य सरकार को निर्गत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, ' राष्ट्रीय ट्रॉमा और बर्न इंजरी रोकथाम और प्रबंधन कार्यक्रम' के तहत, दुर्घटनाओं से होने वाली घटनाओं, मौतों, बीमारियों और लंबे समय तक रहने वाली दिव्यांगताओं को कम करने के लिए पंजाब के पठानकोट, जालंधर, खन्ना, फाजिल्का और फिरोजपुर में ज़िला/उप-ज़िला अस्पतालों में पांच ट्रॉमा केयर सुविधाकेंद्रों की मंज़ूरी दी गई है।

(घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, देश भर में 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) - जिनमें पंजाब के 3,322 एएएम भी शामिल हैं – के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थय परिचर्या दी जाती हैं। ये एएएम प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करता है।

एएएम उत्तरोत्तर रूप से देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के 12 पैकेज उपलब्ध कराते हैं जिनमें प्रजनन और शिशु देखभाल सेवाएँ, संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों, पैलिएटिव केयर और वृद्धजनों की देखभाल, सामान्य मानसिक विकारों, न्यूरोलॉजिकल स्थितियों (मिर्गी, डिमेंशिया) और नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी समस्याओं (तंबाकू, शराब, ड्रग्स) का प्रबंधन, ओरल हेल्थ, ईएनटी देखभाल और मूलभूत आपातकालीन देखभाल शामिल हैं। भारत सरकार ने सीएचसी और पीएचसी दोनों जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए 'आयुष्मान आरोग्य शिविर' नामक एक मासिक जनसंपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया है, जो हर महीने एक तय दिन पर आयोजित किया जाता है।

बढ़ाई गई सेवाओं के साथ सामंजस्य हेतु, आवश्यक दवाओं और निदानों की सूची का भी विस्तार किया गया है, जिससे पीएचसी-एएएम में 179 दवाएं और 63 डायग्नोस्टिक्स, तथा एसएचसी-एएएम में 113 दवाएं और 14 डायग्नोस्टिक्स उपलब्ध हो सकें।

प्रधानमंत्री - आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के सीएसएस घटक के तहत, पंजाब राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि में 22 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स की स्थापना के लिए 755.65 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।
